न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 07/2023
GCMS NO. : 2023/9

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम जाति–मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, राजादण्ड तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. पीराराम पुत्र घीसाराम 2. भंवरलाल पुत्र घीसाराम जातियान–मेघवाल निवासीगण राजादण्ड तहसील जैतारण जिला ब्यावर। 3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.19/01/2023

उपस्थितः– 1. श्री सुनिल प्रजापति, श्री प्रताप सिरवी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री कल्याण कुमार व्यास, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 25/01/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी, पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 214 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 715 रकबा 1.4973 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि आई हुई है तथा इसी प्रकार सरहद मौजा भाकरवासनी, पटवार हल्का गरनिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में भी वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 152 रकबा 0.1781 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसमें वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादी के पिता घीसाराम पुत्र जेठाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण में वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम गीगाराम पुत्र घीसाराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम है, जो वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, पहचान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी आदि में भी वादी का नाम दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम दर्ज है। इस प्रकार वर्णित नामान्तरकरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चली आ रही है। इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 28/12/2022 को पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर पता चला तब वादी ने तहसीलदार जैतारण के समक्ष राजस्व

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

रेकर्ड में दर्ज अपने गलत नाम गीगाराम को हटाया जाकर उसके स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम दिनेशचन्द्र डांगी दर्ज करने का निवेदन किया तब तहसीलदार जैतारण ने न्यायालय आदेश से ही नाम दुरूस्त करने का कथन किया। इसलिए यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहा है। न ही ऋण आदि व किसान कार्ड आदि बन रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी के गलत नाम गीगाराम को हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी के सही व दस्तावेजी नाम दिनेशचन्द्र डांगी के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादी संख्या 3 राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 28/12/2022 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करने पर वादी को राजस्व रेकर्ड में अपना गलत नाम गीगाराम दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी द्वारा तहसीलदार जैतारण से राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने गलत नाम गीगाराम को हटाया जाकर अपने सही व दस्तावेजी नाम दिनेशचन्द्र डांगी को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन करने पर तहसीलदार जैतारण द्वारा न्यायालय आदेश से ही राजस्व रेकर्ड की उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन पर बमुकाम ग्राम भाकरवासनी व पाटवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने इकबालिया जवाब दावा में कथन किया कि वादपत्र में वादी की इस्तदुआ है जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी है वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज वादी के गलत नाम गीगाराम को हटाया जाकर वादी का सही व वास्तविक नाम दिनेशचन्द्र डांगी का इन्द्राज किया जाकर वादी का वादपत्र वादी के पक्ष मे डिकी व निर्णित किया जाता है तो उसमे उत्तरदाता प्रतिवादीगण को कोई आप्पति ऐतराज नहीं है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में गीगाराम पुत्र घीसाराम जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। अतः रोग एन्ट्री नहीं है। वादी के पास वर्तमान में उपलब्ध अपने दस्तावेज यथा राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में वादी का नाम दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम दर्ज है। वादी अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रेकर्ड में संशोधन करवाता है तो जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

(श्याम सुन्दर त्रिपाठी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी एवं तहसीलदार, जैतारण पर गौर कर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पाटवा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 (प्रदर्श-2,3) के खसरा नम्बर 715 रकबा 1.4972 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 214 रकबा 0.9146 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में 'गीगाराम पुत्र घीसाराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम भाकरवासनी की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 (प्रदर्श-1) के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.1781 किस्म बारानी अव्वल में 'गीगाराम पुत्र घीसाराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। ग्राम भाकरवासनी की जमाबन्दी संवत् 2048-2052 (प्रदर्श-20) में अंकित नामान्तरकरण संख्या 142 के नोट अनुसार घीसा के फौत होने पर भंवरलाल, पीराराम, रूघाराम, गीगाराम पि0 घीसराम का नाम दर्ज किया गया। ग्राम पाटवा की जमाबंदी संवत् 2033-2036 (प्रदर्श-9) के खसरा नम्बर 715, 214 में जेठा वल्द केसा का इन्द्राज है एवं जमाबंदी संवत् 2042-2045 (प्रदर्श-10) में जेठा वल्द केसा के वारिसान भंवरलाल, पीराराम, रूघाराम, गीगाराम पि0 घीसाराम शिवराम पि0 जेठाराम का इन्द्राज पाया गया।
2. वादी दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 01 में सशपथ कथन किया कि "उपरोक्त कृषि भूमि में मुझ वादी के पिता घीसाराम पुत्र जेठाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण में मुझ वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम गीगाराम पुत्र घीसाराम के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि मुझ वादी का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम है।"
3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श-22ए (आधार कार्ड), प्रदर्श-23ए (जन-आधार कार्ड) एवं निर्वाचन विभाग के पहचान-पत्र की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेजो में वादी का नाम दिनेश चंद्र डांगी पुत्र घीसा राम डांगी है।
4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि वादी के पास वर्तमान में उपलब्ध अपने दस्तावेज यथा राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में वादी का नाम दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम दर्ज है। वादी अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रेकर्ड में संशोधन करवाता है तो जवाब देहान्दा को कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के शपथ-पत्र, प्रतिवादी के इकबालिया जवाब दावा एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 214 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 715 रकबा 1.4973 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल ग्राम पाटवा एवं खसरा नम्बर 152 रकबा 0.1781 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल ग्राम भाकरवासनी के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि **गीगाराम पुत्र घीसाराम** के स्थान पर वादी का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं दस्तावेजी नाम **दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम** दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि **'गीगाराम पुत्र घीसाराम'** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर **'दिनेशचन्द्र**

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

डांगी पुत्र घीसाराम डांगी' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 214 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 715 रकबा 1.4973 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल एवं सरहद मौजा भाकरवासनी, पटवार हल्का गरनिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 152 रकबा 0.1781 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ** वादी का नाम ***गीगाराम पुत्र घीसाराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 25/01/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम जाति–मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, राजादण्ड तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

1. पीराराम पुत्र घीसाराम
2. भंवरलाल पुत्र घीसाराम जातियान–मेघवाल निवासीगण राजादण्ड तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0– 07/2023

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–...... व हाजरी श्री सुनील प्रजापति, श्री प्रताप सिरवी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री कल्याण कुमार व्यास, अधिवक्ता, प्रतिवादी एवं तहसीलदार जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 214 रकबा 0.9146 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 715 रकबा 1.4973 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल एवं सरहद मौजा भाकरवासनी, पटवार हल्का गरनिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 152 रकबा 0.1781 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल के भू–अभिलेख में जहॉं–जहॉं वादी का नाम ***गीगाराम पुत्र घीसाराम*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व दस्तावेजी नाम की प्रविष्टि ***'दिनेशचन्द्र डांगी पुत्र घीसाराम '*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	7.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	4.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	4.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	15.00	मिजानः–	1.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.